न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :– 01 / 154 / 2017
1. बजरंगलाल पुत्र रघुनाथ जाति रैगर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ़ – वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ – प्रतिवादी

<u>दावा दुरस्ती इन्द्राज</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। वादी द्वारा वाद दुरस्ती इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 41 / 0.64, 20 / 0.87 वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में स्थित है उक्त आराजी का खातेदार वादी का पिता रघुनाथ पुत्र खुशाल था जिसका स्वर्गवास हो गया है जिसका विरासत का नामान्तरकरण वादी व उसकी माता बिरदी के नाम इन्तकाल संख्या 185 दर्ज हो गया। वादी की माता का भी स्वर्गवास हो गया है। वादी मात्र एक उनका वारिस है। वादी के पिता रघुनाथ का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से रघुनाथ के स्थान पर रामनाथ दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे हैं। अन्त में वादी के पिता का नाम जो रिकॉर्ड में रामनाथ दर्ज है उसे दुरस्त किया जाकर रघुनाथ किये जाने का निवेदन किया है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। कैम्प के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ पटवारी हल्का व उपस्थित ग्रामवासियान से प्राप्त की गई। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को सही होने की पुष्टि की गई। वादी की ओर से अपने वाद पत्र की पुष्टि में सरपंच ग्राम पंचायत धीरोडा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति व भामाशाह कार्ड की प्रति पेश की। साथ ही हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 133 वाके ग्राम धीरोडा भी पेश की गई। मैंने वास्ते निर्णय पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत धीरोडा के प्रमाण पत्र व वादी की ओर से प्रस्तुत उक्तानुसार समस्त दस्तावेज का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज व रिपोर्ट से वाद वादी तथ्यों की सही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

वाद वादी इस्तकरार हक व दुरस्ती इन्द्राज हाल आराजी खसरा नम्बर 41 / 0.64, 20 / 0.87 वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम रामनाथ को हजफ किया जाकर सही नाम रघुनाथ दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते हैं। वादी उक्तानुसार हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने पिता का नाम रामनाथ को हजफ करवाकर सही नाम रघुनाथ दर्ज कराने का अधिकारी है। इस अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.05. 2018 को कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
01/154/2017	दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती	22.09.2017	29.05.2018

1. बजरंगलाल पुत्र रघुनाथ जाति रैगर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ़ — वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ — प्रतिवादी

दावा दुरस्ती इन्द्राज

पर्चा डिक्री

दिनांक 29.05.2018

वाद वादी इस्तकरार हक व दुरस्ती इन्द्राज हाल आराजी खसरा नम्बर 41/0.64, 20/0.87 वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम रामनाथ को हजफ किया जाकर सही नाम रघुनाथ दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते हैं। वादी उक्तानुसार हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने पिता का नाम रामनाथ को हजफ करवाकर सही नाम रघुनाथ दर्ज कराने का अधिकारी है। पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.05.2018 को कैम्प कोर्ट धीरोडा पर तैयार की गई।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)